

उपरिथत अभिभाषकगण

1. अधिवक्ता श्री भवानी सिंह निर्वाण-वादीगण।  
अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सहारण- वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :- 5-02-21

वादी की और भवानी सिंह निर्वाण प्रतिवादी की और से सुरेन्द्र सहारण अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 5-2-21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर राजीनामा अनुसार वाद वादी डिकी करते हुए घोषणा की जाति है कि तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 19 एच एम एच के खाता संख्या 129/116 प.न. 130/284 (50) के कि.न. 1 से 10, 13 से 18, 24 25, कुल 4.554 हैक्टर नहरी में वादीगण 0.284 हैक्टर बहिब व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 0.284 हैक्टर बहिब व प्रतिवादी सं. 3 को 0.284 व प्रतिवादी संख्या 4 को 0.284 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है व इस खाता संख्या 129/116 में अमीचन्द व करणी सिंह व प्रतिवादी संख्या 5 से 8 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह डिकी आज दिनांक 5-2-21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हनुमानगढ़।

मिलान किया

उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़